न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 70 / 2024 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. गोपाल पुत्र श्री रंगलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी गराडिया, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

——वादीगण

बनाम

01. लक्ष्मीलाल पुत्र काशीराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी गराडिया, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
02. सुरेश पुत्र काशीराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी गराडिया, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
03. पुरण पुत्र काशीराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी गराडिया, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
04. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा — 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः—
01 श्री सत्यनारायण सोमाणी — अधिवक्ता वादी
02 पवन शर्मा

:: निर्णय ::

दिनांक 13.05.2025

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183 — राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम गराडिया पटवार हलका कबराडिया के आराजी नंबर 151, कुल किता 5 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है जो वादी के नाम दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी माण्डल के समक्ष पेश किया जो प्रकरण संख्या 63 / 2014 पर दर्ज होकर दिनांक 27.01.2024 को निर्णित हुआ। निर्णय की पालना हेतु दिनांक 08.02.2014 को राजस्व अधिकारियों द्वारा पत्थरगढ़ी की गई जिसमें मौके पर आराजी नंबर 151, रकबा 05 बीघा मे से 07 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का 07 बिस्वा पर अवैध कब्जा पाया गया। इस पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को पत्थरगढी अनुसार वादी की भूमि से कब्जा छोड़ कर वादी को सिपुर्द करने करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने साफ तौर पर इंकार क़र दिया। इस कारण वाद पत्र पेश कर भू—अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम गराडिया पटवार हल्का कबराडिया की आराजी नंबर 151, रकबा 05 बीघा से 07 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का वादी की आराजी नम्बर 151 रकबा 05 बीघा मे से 07 बिस्वा पर आराजी नम्बर 151 की उत्तरी मेड की तरफ किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सिपुर्द करने का निवेदन किया।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये जारी किए गए। प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बन्द किये जाने के आदेश किए गए। वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मैने पक्षकारन के अधिवक्त की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतएवः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम गराडिया पटवार हलका कबराडिया के आराजी नंबर 151, कुल किता 5 रकवा 05 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का वादी की आराजी नम्बर 151 रकवा 05 बीघा मे से 07 बिस्वा पर आराजी नम्बर 151 की उत्तरी मेड की तरफ किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सुपर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो ।पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6—7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 70 / 2024 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

02. गोपाल पुत्र श्री रंगलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी गराडिया, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
——वादीगण

बनाम

04. लक्ष्मीलाल पुत्र काशीराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी गराडिया, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
05. सुरेश पुत्र काशीराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी गराडिया, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
06. पुरण पुत्र काशीराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी गराडिया, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
03. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा
——प्रतिवादीगण

———

वादीगण की ओर से श्री सत्यनारायण सोमाणी, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पवन शर्मा उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 13.05.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शुन्य को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम गराडिया पटवार हलका कबराडिया के आराजी नंबर 151, कुल किता 5 रकबा 05 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का वादी की आराजी नम्बर 151 रकबा 05 बीघा मे से 07 बिस्वा पर आराजी नम्बर 151 की उत्तरी मेड की तरफ किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें । खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करें।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 13.05..2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)